INTRODUCTION

In this chapter you would study how elected legislatures function and help in maintaining democratic government. You will also learn about the composition and functioning of the parliament and State legislatures in India and their importance in democratic government. After reading this chapter you would know

इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि निर्वाचित विधायिकाएँ कैसे काम करती हैं और लोकतांत्रिक सरकार को बनाए रखने में कैसे मदद करती हैं। आप भारत में संसद और राज्यों की विधायिकाओं की संरचना और कार्यों तथा लोकतांत्रिक शासन में उनके महत्त्व का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगीः

INTRODUCTION

- the importance of the legislature;
- the functions and powers of the Parliament of India;
- the law making procedure;
- how the Parliament controls the executive; and
- how the Parliament regulates itself.


- ❖ विधायिका का क्या महत्त्व है?
- ★ संसद के कार्य और शक्तियाँ क्या हैं?
- **ॐ** कानून कैसे बनता है?
- ❖ संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रिात करती है?
- ❖ संसद अपने ऊपर कैसे नियंत्राण रखती है?

WHY DO WE NEED A PARLIAMENT?

- The legislature also helps people in holding the representatives accountable. This is indeed, the very basis of representative democracy.
- It is recognised as one of the most democratic and open forum of debate. On account of its composition, it is the most representative of all organs of government. It is above all, vested with the power to choose and dismiss the government.


- विधायिका जन—प्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। यह वास्तव में प्रतिनिधिक लोकतंत्रा का आधार है।
- यह वाद—विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधिक है। और इसके पास सरकार ;कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी है।

WHY DO WE NEED TWO HOUSES OF PARLIAMENT?



The term 'Parliament' refers to the national legislature. The legislature of the States is described as State legislature. The Parliament in India has two houses. When there are two houses of the legislature, it is called a bicameral legislature. The two **Houses of the Indian Parliament are** the Council of States or the Rajya Sabha and the House of the People or the Lok Sabha. The Constitution has given the States the option of establishing either a unicameral or bicameral legislature. At present only seven States have a bicameral legislature.

WHY DO WE NEED TWO HOUSES OF PARLIAMENT?



हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। राज्यों की विधायिकाओं को विधान मंडल कहते हैं। भारतीय संसद में दो सदन हैं। जब किसी विधायिका में दो सदन होते हैं, तो उसे द्वि-सदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्य सभा तथा दूसरे को लोक सभा कहते है सविंधान ने राज्यों को एक-सदनात्मक या द्वि-सदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल सात राज्यों में ही द्वि-सदनात्मक विधायिका है।

WHY DO WE NEED TWO HOUSES OF PARLIAMENT?

Countries with large size and much diversity usually prefer to have two houses of the national legislature to give representation to all sections in the society and to give representation to all geographical regions or parts of the country. A bicameral legislature has one more advantage. A bicameral legislature makes it possible to have every decision reconsidered. Every decision taken by one house goes to the other house for its decision.

विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्रायः द्वि-सदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे अपने समाज के सभी वर्गों और देष के सभी क्षेत्रों या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। द्वि-सदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है।

Each of the two Houses of Parliament has different bases of representation. The Rajya Sabha represents the States of India. It is an indirectly elected body. Residents of the State elect members to State Legislative Assembly. The elected members of State **Legislative Assembly in turn** elect the members of the Rajya Sabha.

संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग—अलग है। राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसी राज्य के लोग राज्य की विधान सभा के सदस्यों को चुनते हैं। फिर, राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य सभा के सदस्यों को चुनते हैं।



Members of the Rajya Sabha are elected for a term of six years. They can get reelected. All members of the Rajya Sabha do not complete their terms at the same time. **Every two years, one third** members of the Rajya Sabha complete their term and elections are held for those one third seats only.

राज्य सभा वेफ सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। उन्हें दुबारा निर्वाचित किया जा सकता है। राज्य सभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं करते। प्रत्येक दो वर्ष पर राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन एक तिहाई सीटों के लिए चुनाव होते हैं।



Thus, the Rajya Sabha is never fully dissolved. Therefore, it is called the permanent House of the Parliament. The advantage of this arrangement is that even when the Lok Sabha is dissolved and elections are yet to take place, the meeting of the Rajya Sabha can be called and urgent business can be conducted.

इस तरह राज्य सभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती। अतः इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में जानते हैं। इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोक सभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं, तब राज्य सभा की बैठक बुलाई जा सकती है और शरूरी मामलों को निपटाया जा सकता है।

Apart from the elected members, Rajya Sabha also has twelve nominated members. The President nominates these members. These nominations are made from among those persons who have made their mark in the fields of literature, science, art and social service.

निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है।

Lok Sabha

The Lok Sabha and the State Legislative Assemblies are directly elected by the people. For the purpose of election, the entire country (State, in case of State Legislative Assembly) is divided into territorial constituencies of roughly equal population.

लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। लोक सभा चुनावों के लिए पूरे देष को और विधान सभा चुनावों के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है।



Lok Sabha

One representative is elected from each constituency through universal adult suffrage where the value of vote of every individual would be equal to another. At present there are 543 constituencies. This number has not changed since 1971 census.



प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रा से एक प्रतिनिधि चुना जाता है चुनाव 'सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार' के आधार पर होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। इस समय लोक सभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रा हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है।

Lok Sabha

The Lok Sabha is elected for a period of five years. This is the maximum. We have seen in the chapter on the executive that before the completion of five years, the Lok Sabha can be dissolved if no party or coalition can form the government or if the Prime Minister advises the President to dissolve the Lok Sabha and hold fresh elections.

लोक सभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को लोक सभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे, तो लोक सभा को 5 वर्ष वेफ पहले भी भंग किया जा सकता है।



- □ Apart from law making, the Parliament is engaged in many other functions. Let us list the functions of the Parliament:
- Legislative Function: The Parliament enacts legislations for the country.

- □ कानून बनाने के अतिरिक्त, संसद के अन्य अनेक कार्य हैं। आइए इन कार्यों की सूची बनाएँ...
- विधायी कामकाज . संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है।

- Control of Executive and ensuring its accountability: Perhaps the most vital function of the Parliament is to ensure that the executive does not overstep its authority and remains responsible to the people who have elected them.
- कार्यपालिका पर नियंत्राण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना . संसद का सबसे महत्त्वपूर्ण काम कार्यपालिका को उसके अधिकार क्षेत्र में सीमित रखने तथा जनता ;जिसने उसे चुना है के प्रति उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है।

Financial Function: **Government** is about spending a lot of money on various matters. Where does this money come from? Every government raises resources through taxation. However, in a democracy, legislature controls taxation and the way in which money is used by the government. If the **Government of India** proposes to introduce any new tax, it has to get the approval of the Lok Sabha.

वित्तीय कार्य . सरकार को बहुत—से काम करने पडते हैं। इन कामों पर धन खर्च होता है। यह धन कहाँ से आता है? प्रत्येक सरकार कर-वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है। लेकिन, लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखती है। यदि भारत सरकार कोई नया कर प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है।

- ❖ Representation: Parliament represents the divergent views of members from different regional, social, economic, religious groups of different parts of the country.
- प्रितिनिमात्व . संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग—अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है।

- Debating Function: The Parliament is the highest forum of debate in the country. There is no limitation on its power of discussion. Members are free to speak on any matter without fear. This makes it possible for the Parliament to analyse any or every issue that faces the nation. These discussions constitute the heart of democratic decision making.
- **क** बहस का मंच . संसद देश में वाद-विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार-विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। यह विचार-विमर्श हमारी लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया की आत्मा है।

- Constituent Function: The Parliament has the power of discussing and enacting changes to the **Constitution. The** constituent powers of both the houses are similar. All constitutional amendments have to be approved by a special majority of both Houses.
- Electoral functions: The Parliament also performs some electoral functions. It elects the President and Vice President of India.

- संवैधानिक कार्य . संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियाँ एक समान हैं। प्रत्येक संविधान संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है।
- निर्वाचन संबंधी कार्य . संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है।

- ❖ Judicial functions: The judicial functions of the Parliament include considering the proposals for removal of President, Vice-President and Judges of High Courts and Supreme Court.
- न्यायिक कार्य . भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आते हैं।

Special Powers of Rajya Sabha

As you know, the Rajya Sabha is an institutional mechanism to provide representation to the States. Its purpose is to protect the powers of the States. Therefore, any matter that affects the States must be referred to it for its consent and approval.

आप जानते हैं कि राज्य सभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य राज्य के हितों ;शक्तियोंद्ध का संरक्षण करना है। इसलिए, राज्य के हितों को प्रभावित करने वाला प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए भेजा जाता है।

Special Powers of Rajya Sabha

Thus, if the Union Parliament wishes to remove a matter from the State list (over which only the State Legislature can make law) to either the Union List or Concurrent List in the interest of the nation, the approval of the Rajya Sabha is necessary.

उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार राज्य सूची के किसी विषय ;जिस पर केवल राज्य की विधान सभा कानून बना सकती है। को, राष्ट्र हित में, संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहे, तो उसमें राज्य सभा की स्वीकृति आवश्यक है।

Special Powers of Lok Sabha


Powers exercised only by the Lok Sabha: Then, there are powers that only the Lok Sabha exercises. The Rajya Sabha cannot initiate, reject or amend money bills. The Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha and not Rajya Sabha. Therefore, Rajya Sabha can criticise the government but cannot remove it.


लोक सभा की विशेष शक्तियाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग केवल लोक सभा ही कर सकती है। केवल लोक सभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और वही उसे संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। मंत्रिपरिषद् केवल लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्य सभा के प्रति नहीं। अतः राज्य सभा सरकार की आलोचना तो कर सकती है पर उसे हटा नहीं सकती।

Special Powers of Lok Sabha

Can you explain why? The Rajya Sabha is elected by the MLAs and not directly by the people. Therefore, the Constitution stopped short of giving certain powers to the Rajya Sabha.

क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? राज्य सभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। अतः संविधान ने राज्य सभा को लोक सभा के बराबर शक्तियाँ नहीं दीं।





As you know, a bill has to be passed by both Houses for enactment. If there is disagreement between the two Houses on the proposed bill, attempt is made to resolve it through Joint Session of Parliament. In the few instances when joint sessions of the parliament were called to resolve a deadlock, the decision has always gone in favour of the Lok Sabha.

जैसा आप जानते हैं कि किसी विधेयक को लागू होने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना जरूरी है। लेकिन, यदि प्रस्तावित विधेयक पर दोनों सदनों के बीच मतभेद हों तो उसे संसद के संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से सुलझाने की कोशिश की जाती है। पहले जब कभी भी ऐसे मतभेदों को सुलझाने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, निर्णय हमेशा ही लोक सभा के पक्ष में गया है।

If it is a money bill, the Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. If it takes no action within 14 days the bill is deemed to have been passed. Amendments to the bill, suggested by Rajya Sabha, may or may not be accepted by the Lok Sabha.

लेकिन धन विधेयक के मामले में, राज्य सभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। यदि राज्य सभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्य सभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्य सभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोक सभा मान भी सकती है और नहीं भी।

When a bill is passed by both Houses, it is sent to the President for his assent. The assent of the President results in the enactment of a bill into a law.

जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है।

HOW DOES THE PARLIAMENT CONTROL THE EXECUTIVE?

संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है?

HOW DOES THE PARLIAMENT CONTROL THE EXECUTIVE?

- No action can be taken against a member for whatever the member may have said in the legislature. This is known as parliamentary privilege. The presiding officer of the legislature has the final powers in deciding matters of breach of privilege.
- ❖ The main purpose of such privileges is to enable the members of the legislature to represent the people and exercise effective control over the executive.
- ♣ विधयिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है।
- ऐसे विशेषाधिकारों का उद्देश्य यह है कि सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सकें और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्राण रख सकें।

- Special procedure in respect of Money Bills.—(1)
 A Money Bill shall not be introduced in the Council of States
- 2. When a bill is passed by both Houses, it is sent to the President for his assent. The assent of the President results in the enactment of a bill into a law.

- 1. धन विधयेकों के सबंधं में विशष प्रक्रिया—1 धन विधेयक राज्य सभा में पेश नहीं किया जाएगा।
- 2. जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है।

Instruments of Parliamentary Control

Instruments of Parliamentary Control

संसदीय नियंत्राण के साधन

- ☐ The legislature does this through the use of a variety of devices:
- Deliberation and discussion
- Approval or Refusal of laws
- Financial control
- No confidence motion

- ☐ विधायिका यह काम कई तरीकों से करती है
- ❖ बहस और चर्चा
- **कानूनों** की स्वीकृति या अस्वीकृति
- वित्तीय नियंत्राण
- अविश्वास प्रस्ताव

Deliberation and discussion

Deliberation and discussion: During the law making process, members of the legislature get an opportunity to deliberate on the policy direction of the executive and the ways in which policies are implemented. Apart from deliberating on bills, control may also be exercised during the general discussions in the House. The Question Hour, which is held every day during the sessions of Parliament, where Ministers have to respond to searching questions raised by the members; Zero Hour where members are free to raise any matter that they think is important (though the ministers are not bound to reply), half-an-hour discussion on matters of public importance, adjournment motion, etc., are some instruments of exercising control.

Deliberation and discussion

बहस और वाद—विवाद . कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यंपीलका द्वारा बनाई गई नीतियों आरै उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है विधयेकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त, सदन में सामान्य वाद—विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्राण करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न हैं— प्रश्न काल.संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन 'प्रश्नकाल' आता है जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है शून्यकाल . इसमें सदस्य किसी भी महत्त्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है और लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन—प्रस्ताव आदि।

Approval and ratification of laws

Parliamentary control is also exercised through its power of ratification. A bill can become a law only with the approval of the Parliament.

कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है।

Financial control

Financial control:

As mentioned earlier, financial resources to implement the programmes of the government are granted through the budget. **Preparation and presentation** of budget for the approval of the legislature is constitutional obligation of the government. This obligation allows the legislature to exercise control over the purse strings of the government.

वित्तीय नियंत्रण

जैसा पहले कहा जा चुका है, सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के 'खजाने' पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है।

No Confidence Motion

The most powerful weapon that enables the Parliament to ensure executive accountability is the noconfidence motion. As long as the government has the support of its party or coalition of parties that have a majority in the Lok Sabha, the power of the House to dismiss the government is fictional rather than real. Thus, the Parliament can effectively control the executive and ensure a more responsive government.

संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार 'अविश्वास प्रस्ताव' है। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम, काल्पनिक ज्यादा होती है। इस प्रकार, संसद कार्यपालिका को प्रभावी ... से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना

सुनिश्चित कर सकती है।

WH AT DO THE COMMITTEES OF PARLIAMENT DO?

A significant feature of the legislative process is the appointment of committees for various legislative purposes. These committees play a vital role not merely in law making, but also in the day-to-day business of the House. Since the Parliament meets only during sessions, it has very limited time at its disposal.

संसदीय समितियाँ क्या करती हैं?

विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन ससंदीय कामकाज का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। ये समितियाँ केवल कानून बनाने में ही नहीं, वरन् सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चूँिक संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है इसलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है।

The making of law for instance requires in-depth study of the issue under consideration. This in turn demands more attention and time. Similarly, there are other important functions also, like studying the demands for grants made by various ministries, looking into expenditure incurred by various departments, investigating cases of corruption etc. Parliamentary committees perform such functions.

किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए उस पर ज्यादा ध्यान और समय देने की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्त्वपूर्ण कार्य होते हैं जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान माँगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जाँच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि। संसदीय समितियाँ यह सब कार्य करती हैं।

Since 1983, India has developed a system of parliamentary standing committees. There are over twenty such departmentally related committees. Standing **Committees supervise the** work of various departments, their budget, their expenditure and bills that come up in the house relating to the department.

1983 से भारत में संसद की स्थायी सिमतियों की प्रणाली विकसित की गई है। विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 सिमतियाँ हैं। स्थायी सिमतियाँ विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट, खर्चे, तथा उनसे संबंधित विधेयकों—की देखरेख करती हैं।

Apart from standing committees, the Joint **Parliamentary Committees** have occupied a position of eminence in our country. **Joint Parliamentary Committees (JPCs) can be** set up for the purpose of discussing a particular bill, like the joint committee to discuss bill, or for the purpose of investigating financial irregularities.

स्थायी समितियों के अतिरिक्त, अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जाँच के लिए किया जा सकता है। समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया है।

the functions of the Parliament are carried out smoothly and its dignity is intact. The Constitution itself has made certain provisions to ensure smooth conduct of business. The presiding officer of the legislature is the final authority in matters of regulating the business of the legislature.

संसद की कार्यवाही आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारु ढंग से चलने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है।

There is one more way in which the presiding officers control the behaviour of the members. You may have heard about the anti-defection law. Most of the members of the legislatures are elected on the ticket of some political party. What would happen if they decide to leave the party after getting elected? For many years after independence, this issue was unresolved. Finally there was an agreement among the parties that a legislator who is elected on one party's ticket must be restricted from 'defecting' to another party. An amendment to the Constitution was made (52nd amendment act) in 1985. This is known as anti-defection amendment. It has also been subsequently modified by the 91st amendment. The presiding officer of the House is the authority who takes final decisions on all such cases. If it is proved that a member has 'defected', then such member loses the membership of the House. Besides, such a person is also disqualified from holding any political office like ministership, etc

एक और तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आपने शायद दलबदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहें तो क्या होगा? स्वतंत्रता के काफी समय बाद तक यह समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दलबदल करने से रोका जाना चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वाँ संशोधन किया गया। इसे 'दलबदल निरोधक कानून' कहते हैं। इसे बाद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा दुबारा संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दलबदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाय कि किसी सदस्य ने 'दलबदल' किया है, तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त, ऐसे दलबदलू को किसी भी राजनीतिक पद ;जैसे मंत्री। के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

What is defection?

If a member remains absent in the House when asked by the party leadership to remain present or votes against the instructions of the party or voluntarily leaves the membership of the party, it is deemed as defection

दलबदल क्या है?

यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे तो उसे 'दलबदल' कहते हैं।